

Date  
20-  
03-  
2021

## सराहनीय कार्य जनपद बिजनौर

### थाना शेरकोट पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को अवैध शराब व शराब बनाने के उपकरण सहित किया गिरफ्तार ।

सादर अवगत कराना है कि थाना शेरकोट पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर दिनांक 19.03.21 को ग्राम हरेवली के जंगल में गुरमीत उर्फ भोली पुत्र बकतावर नि० ग्राम मधुपुरी थाना बढापुर जिला बिजनौर को 50 लीटर अवैध शराब व शराब बनाने के उपकरण सहित गिरफ्तार किया गया तथा मौके पर लगभग 4000 लीटर लहन नष्ट किया गया । इस सम्बन्ध में थाना शेरकोट पर मु०अ०स० - 35/21 धारा 60(2) आबकारी अधि० बनाम गुरमीत उर्फ भोली पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है ।

#### गिरफ्तार किये गये अभि० का नांम व पता –

गुरमीत उर्फ भोली पुत्र बकतावर नि० ग्राम मधुपुरी थाना बढापुर जनपद बिजनौर उम्र-36 वर्ष ।



#### बरामदगी का विवरण –

50 ली० अवैध शराब व 4000 ली० लहन मौके पर नष्ट ।

शराब बनाने के उपकरण -एक कनस्तर ,एक पतीला ,एक पाईप रबर ,एक प्लेट ,एक तशला आदि ।

#### पुलिस टीम -

- 1.श्रीअनुज कुमार थानाध्यक्ष शेरकोट बिजनौर
- 2.उ०नि० श्री सुशील तोमर थाना शेरकोट बिजनौर
- 3.हे०का० 22 सत्यपाल सिंह थाना शेरकोट बिजनौर
- 4.का० 2009 अजय कुमार थाना शेरकोट बिजनौर
- 5.का० 585 राकेश राणा थाना शेरकोट बिजनौर
6. का० 2332 विजय कुमार थाना शेरकोट बिजनौर

## थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को 120 ली० कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण सहित किया गिरफ्तार।

सादर अवगत कराना है कि थाना नगीना देहात पुलिस को मुखबिर द्वारा ग्राम कादरगंज की ओर जाने वाले रास्ते पर ठंडे नाले के पास एक व्यक्ति द्वारा अवैध शराब की कसीदगी करने सम्बन्धी सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर नगीना देहात पुलिस द्वारा बताये गये स्थान पर पहुँच कर अभि० सन्टी पुत्र प्रेम सिंह नि० भूमिदान थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर को जमीन में भट्टी बनाकर ड्रम रखकर अवैध शराब की कसीदगी करते समय मौके पर गिरफ्तार किया गया। अभि० के कब्जे से मौके पर 120 ली० शराब खाम व अवैध शराब बनाने के उपकरण बरामद हुये तथा मौके पर पुलिस टीम द्वारा लगभग 2500 लीटर लहन नष्ट किया गया। जिस सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु०अ०सं० 67/21 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम बनाम सन्टी पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभि० का विवरण –

1. सन्टी पुत्र प्रेम सिंह उम्र करीब 22 वर्ष नि० भूमिदान थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर



### बरामदगी का विवरण –

1. 3 प्लास्टिक की जरीकैन जिनमें क्रमशः 50–50 व 20 ली० शराब खाम कुल 120 ली० शराब खाम
2. 1 लोहे का ड्रम, 1 मिट्टी की हंडिया, 1 एल्युमिनियम का पाइप, 1 प्लास्टिक का डिब्बा, 1 मग,
3. 2500 ली० लहन मौके पर नष्ट किया गया।

### आपराधिक इतिहास –

1. मु०अ०सं० 67/2021 धारा 60 (2) आबकारी अधिनियम थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
2. मु०अ०सं० 51/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
3. मु०अ०सं० 73/18 धारा 60 (2) आबकारी अधिनियम थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
4. मु०अ०सं० 52/18 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर

### गिरफ्तारी /बरामदगी करने वाली टीम का विवरण –

1. उ०नि० अजेन्द्र कुमार
2. का० 1509 सोवरन सिंह
3. का० 689 गौरव कुमार

## थाना नजीबाबाद

दिनांक 17.03.2021 को वादी श्री रविन्द्र कुमार पुत्र विजय सिंह निवासी ग्राम इब्राहीमपुर बावन उर्फ नंगला थाना नजीबाबाद जिला बिजनौर की लिखित तहरीर पर थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 132/2021 धारा 302 भादवि बनाम विजय सिंह पुत्र सगवा सिंह निवासी ग्राम इब्राहीमपुर बावन उर्फ नंगला थाना नजीबाबाद जिला बिजनौर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। उक्त घटना मे अभियुक्त विजय सिंह उपरोक्त द्वारा अपनी पत्नी श्रीमती गुडडो देवी की कुल्हाडी से काटकर हत्या कर दी गयी थी तथा अभियुक्त घटना मे प्रयुक्त कुल्हाडी को मौके पर ही छोडकर फरार हो गया था ।

आज दिनांक 20.03.2021 को मुखबिर की सूचना पर नामजद अभियुक्त विजय सिंह पुत्र सगवा सिंह निवासी ग्राम इब्राहीमपुर बावन उर्फ नंगला थाना नजीबाबाद जिला बिजनौर को आज प्रातः 06.50 बजे देव पेट्रोल पम्प तिराहे से पुलिस टीम थाना नजीबाबाद द्वारा गिरफ्तार किया गया। जो कि शहर छोडकर भागने की फिराक मे था। अभियुक्त विजय सिंह उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेजा जा रहा हैं।

### नाम—पता अभियुक्त

1. विजय सिंह पुत्र सगवा सिंह निवासी ग्राम इब्राहीमपुर बावन उर्फ नंगला थाना नजीबाबाद जिला बिजनौर



### आपराधिक इतिहास

1—मु0अ0सं0 132/2021 धारा 302 भादवि थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

### गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

1. प्रभारी निरीक्षक सत्य प्रकाश सिंह थाना नजीबाबाद बिजनौर
2. उ0नि0 राजीव शर्मा थाना नजीबाबाद बिजनौर
3. उ0नि0 आशीष कुमार थाना नजीबाबाद बिजनौर
4. का0 1734 बिट्टू थाना नजीबाबाद बिजनौर
5. का0 2051 अजीत कुमार थाना नजीबाबाद बिजनौर
6. का0 चालक 1537 जितेश कुमार थाना नजीबाबाद बिजनौर

**थाना हीमपुरदीपा:-** दिनांक 15.03.2021 को मनित पुत्र कलवा उर्फ कल्याण निवासी ग्राम कुतुबपुर गढ़ी थाना हीमपुर दीपा द्वारा अपने साथी हर्षित चिकारा व एक अन्य के साथ ग्राम कुतुबपुर गढ़ी निवासी ललित चौधरी के घर में घुसकर गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देने व फायरिंग करने के संबंध में थाने पर मु0अ0संख्या 30/2021 धारा 452/504/506 भादवि पंजीकृत कराया था ।

इसी क्रम में आज दिनांक 20.03.2021 को थाना हीमपुर दीपा पुलिस द्वारा छाछरी मोड़ से समय प्रातः 8:10 बजे अभियुक्त मनित पुत्र कल्याण उर्फ कलवा निवासी कुतुबपुर गढ़ी को 01 तमंचा 315 बोर व दो जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार किया । इसके संबंध में थाना हीमपुर दीपा पर मु0अ0सं0 32/21 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया ।



**थाना हीमपुरदीपा:-** थाना हीमपुर दीपा पुलिस द्वारा अभियुक्त गजेन्द्र उर्फ पहलवान पुत्र रामेश्वर निवासी राजपुर बहमन थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।



**थाना किरतपुर:-** थाना किरतपुर पुलिस द्वारा थाने पर पंजीकृत मु०अ०सं० 8/21 धारा 3/4 मुस्लिम विवाह अधिनियम से संबंधित अभियुक्त शहजाद पुत्र मंजूरा निवासी ग्राम रतनपुर मुस्तफाबाद थाना बहादुरबाद जिला हरिद्वार को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।



**थाना किरतपुर:-** थाना किरतपुर पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 68/2021 धारा 354/452/506 IPC से संबंधित अभियुक्त राहुल वाल्मीकि पुत्र प्रेम घड़ियाल निवासी ग्राम कुतुबपुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।



**थाना शेरकोट:-** थाना शेरकोट पुलिस द्वारा अभियुक्त सरजीत पुत्र बल्लू निवासी ग्राम लेदर पुर थाना शेरकोट बिजनौर को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।



**थाना नूरपुर:-** थाना नूरपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त अरविंदर सिंह उर्फ आकाश पुत्र हरजीत सिंह निवासी ग्राम राहुनगली थाना नूरपुर जिला बिजनौर को अंतर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।



**थाना मंडावर:-** थाना मंडावर पुलिस द्वारा अभियुक्त नरेश पुत्र हरीसिंह निवासी ग्राम कोहरपुर थाना मंडावर जनपद बिजनौर को 20 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार किया गया । इस संबंध में थाना मंडावर पर मु0अ0सं0 53/2021 धारा 60 EX Act. पंजीकृत किया गया ।



**थाना नगीना देहात:-** थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा अभियुक्त फरीद पुत्र बुंदू निवासी मनसा कोटकादर थाना नगीना देहात बिजनौर को 20 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार किया गया । इस संबंध में थाना नगीना देहात पर मु0अ0सं0 65/2021 धारा 60 EX Act. पंजीकृत किया गया ।



**थाना हीमपुर दीपा:-** थाना हीमपुर दीपा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 31/21 धारा 376 आईपीसी व 3 / 4 पोक्सो एक्ट के संबंधित अभियुक्त मोहित उर्फ मोनू पुत्र मुनेश्वर निवासी नानू पुरा हीमपुर दीपा को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।



**थाना नजीबाबाद:-** अभियुक्त फैजान पुत्र शमीम निवासी मौ0 बाजार जामा मस्जिद कस्बा व थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर द्वारा 500 रुपये चोरी करने के संबंध में थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 134/21 धारा 379/411 भादवि पंजीकृत कर अभियुक्त फैजान उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।





**थाना स्योहारा:-** थाना स्योहारा पुलिस द्वारा वाद संख्या 374/19 धारा 302 भादवि का वारण्टी अभियुक्त शमीम अहमद पुत्र अब्दुल हफीज निवासी अलादीनपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।



**थाना कोतवाली शहर:-** थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा अभियुक्त मुकेश पुत्र रामशरण व जागन सिंह पुत्र रामशरण निवासीगण ग्राम जलालपुर काजी थाना कोतवाली शहर को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।



**थाना कोतवाली शहर:-** थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा अभियुक्त बकार आलम उर्फ बल्लू पुत्र छिदू कुमार निवासी मौ0 चाहशीरी थाना कोतवाली शहर बिजनौर को 03 अवैध तमचे व 10 कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया । जिसके संबंध में थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 164/21 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया ।



**थाना कोतवाली शहर:-**थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा अभियुक्त बोबी उर्फ कमल किशोर पुत्र भीम सिंह निवासी ग्राम लडापुरा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को 01 तमचा 315 बोर व 01 कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया । इस संबंध में थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 165/21 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया ।



**थाना कोतवाली शहर:-** थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा अभियुक्त सौरभ कुमार पुत्र महेन्द्र सिंह व शुभम कुमार पुत्र विरेन्द्र सिंह निवासीगण ग्राम लडापुरा थाना कोतवाली शहर को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।



**थाना मंडावली:-** थाना मंडावली पुलिस द्वारा अभियुक्त आकाश पुत्र महेन्द्र व आशीष पुत्र मुखराम सिंह निवासीगण ग्राम मण्डावली थाना मण्डावली जनपद बिजनौर को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।



**थाना शेरकोट:-** थाना शेरकोट पुलिस द्वारा अभियुक्त जुलफुकार पुत्र सदीक निवासी मोहल्ला खुराड़ा थाना शेरकोट जनपद बिजनौर को एक नाजायज चाकू सहित गिरफ्तार किया गया । इस संबंध में थाना शेरकोट पर मु0अ0सं0 37/ 21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया ।



जनपद बिजनौर दिनांक 20-03-2021



आज दिनांक **20.03.2021** को थाना नूरपुर की एंटी रोमियो टीम द्वारा उ0प्र0 सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन के लिये “मिशन शक्ति” के रूप में विशेष अभियान के अन्तर्गत क्षेत्र की महिलाओं व स्कूल/कॉलेज की छात्राओं/बालिकाओं को पंपलेट वितरित कर मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान की गयी महिलाओं/छात्राओ को जागरूक किया और हैल्पलाईन नंबर **102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090** आदि व जनपद के सभी थानो पर खुले महिला हेल्प डेस्क के महत्व के सम्बन्ध में जागरूक किया तथा भीडभाड वाले स्थानो बाजारो में मंचलो पर शिकंजा कसा गया ।





आज दिनांक **20.03.2021** को थाना प्रभारी किरतपुर द्वारा उ0प्र0 सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन के लिये “मिशन शक्ति” के रूप में विशेष अभियान के अन्तर्गत क्षेत्र के **राजकीय इंटर कॉलेज बेगमपुर शादी** में छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान व यातायात नियमों के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान की गयी और हैल्पलाईन नंबर **102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090** आदि व जनपद के सभी थानो पर खुले महिला हेल्प डेस्क के महत्व के सम्बन्ध में जागरूक किया तथा भीडभाड वाले स्थानो बाजारो में मंचलो पर शिकंजा कसा गया ।



आज दिनांक **20.03.2021** को जनपदीय एंटी रोमियो टीम प्रभारी द्वारा उ0प्र0 सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन के लिये “मिशन शक्ति” के रूप में विशेष अभियान के अन्तर्गत क्षेत्र की महिलाओं व स्कूल/कॉलेज की छात्राओं/बालिकाओं को पंपलेट वितरित कर मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान की गयी महिलाओं/छात्राओ को जागरूक किया और हैल्पलाईन नंबर **102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090** आदि व जनपद के सभी थानो पर खुले महिला हेल्प डेस्क के महत्व के सम्बन्ध में जागरूक किया तथा भीडभाड वाले स्थानो बाजारो में मंचलो पर शिकंजा कसा गया ।

